न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-1, कोटा (राज0)

.....

पीठासीन अधिकारीः - रमेश कुमार अटल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी वाद (CIS) संख्या : 81/2021
CNR No. RJKT01-001213-2021

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य कार्यालय-लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411005 तथा शाखा कार्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्लॉट नं. 6, न्यू मोटर मार्केट, कोटा एयरपोर्ट के सामने, झालावाड़ रोड, कोटा (राज.)- जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दीपेन्द्र सिंह.

-----वादी

बनाम

01. राजेन्द्र कुमार बगरी पुत्र श्री बद्रीलाल बगरी निवासी बी-513, प्रेम नगर 3. अफोरडेबल आवास योजना, प्रेम नगर कोटा (राज.) अन्य पताः-
राजेन्द्र कुमार बगरी पुत्र श्री बद्री लाल बगरी निवासी 320, जय हिन्द नगर पुलिस लाईन के पास, कोटा, (राज.)
02. श्री बद्री लाल बगरी निवासी 320, जय हिन्द नगर, पुलिस लाईन के पास कोटा (राज.) **(दिनांक 27.12.2020 को मृत्यु हो चुकी है)** ----प्रतिवादीगण

वाद बाबत वसूली कुल बकाया राशि 6,47,134.48/-रूपए

.....

उपस्थितः-
01. श्री नरपत सिंह राजावत, अधिवक्ता वादी की ओर से।
02. श्री चेतन कुमार पाराशर, अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 30.05.2026**

01. वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण राजेन्द्र कुमार बगरी वगैरह के विरूद्ध यह वाद बाबत वसूली राशि 6,47,134.48/-रूपए हेतु श्रीमान् जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश किया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

02. संक्षेप में वाद पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंकिंग कम्पनी है एवं बैंकिंग कम्पनीज (Acquisition and Transfer of Undertakings) एक्ट 1970 के तहत निर्गमित है। वादी बैंक का अन्य कार्यों के अतिरिक्त अपने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुविधा प्रदान करना भी है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता वादी बैंक की ओर से न्यायालय में वाद-पत्र प्रस्तुत करने, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने, न्यायालय में वादी बैंक की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु हस्ताक्षर करने, सत्यापित करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, बयान देने व अन्य समस्त कार्य जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के निस्तांतरण हेतु वांछित एवं आवश्यक हो, करने के लिए अधिकृत है।

Authenticated Document

03. वादी का वादपत्र में आगे यह भी कथन रहा है कि वर्ष 2012 में प्रतिवादीगण ने बतौर एप्लीकेंट वादी से निवेदन के साथ सम्पर्क किया कि वह शिक्षा ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक है। वादी बैंक ने प्रतिवादीगण को लोन अनुबंध की समस्त शर्तों से अवगत करा दिया व जिन शर्तों पर शिक्षा ऋण सुविधा प्रतिवादीगण को प्रदान की जानी थी। प्रतिवादीगण ने वादी बैंक द्वारा बताई गई समस्त शर्तों से संतुष्ट होकर बतौर एप्लीकेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से शिक्षा ऋण सुविधा बाबत आवेदन किया, जिस पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लोन स्वीकृति पत्र एवं शिक्षा ऋण सुविधा को नियन्त्रित करने वाली नियम व शर्तों के माध्यम से राशि 6,00,000/-शब्देन छः लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई, जिसका अनुबन्ध खाता संख्या 60103835200 है, जोकि प्रतिवादी सं.1 की शिक्षा पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात् के किश्तों में लोटानी थी। बैंक को अनुबंध के बाबत समस्त भुगतान व ब्याज चार्जेज अदा करने की सहमति देते हुए प्रतिवादीगण ने अदा करने का वायदा किया कि उसके द्वारा अनुबन्ध की समस्त शर्तों की नियमित रूप से पालना की जावेगी। प्रतिवादीगण द्वारा वायदा किया कि उपरोक्त ऋण की अदायगी प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक को अनुबंधोनुसार की जायेगी। प्रतिवादीगण द्वारा शिक्षा ऋण सुविधा प्राप्त करने के पश्चात तथा ऋण राशि का उपभोग करने के पश्चात् अधिक समय तक अनुबन्ध की शर्तों की पालना नही की एवं बकाया व ब्याज की अदायगी में डिफाल्ट कारित की गई। वादी बैंक द्वारा बकाया व ब्याज की अदायगी का तकाजा करने पर प्रतिवादीगण अदायगी से गुरेज करने लगा व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगा तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा बकाया व व्याज की अदायगी में चूक कारित करने पर वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण से बकाया राशि की अदायगी करने का अनेकों बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी नहीं की गई। वादी बैंक ने समस्त सम्भव उपाय बकाया राशि प्राप्त करने हेतु प्रतिवादीगण के प्रति कर लिए परन्तु प्रतिवादीगण पर उक्त समस्त उपायो का कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा समस्त प्रयास फलहीन रहे तथा प्रतिवादीगण के समस्त अधिकार जोकि उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत थे, समाप्त हो गया तथा प्रतिवादीगण, वादी बैंक को समस्त बकाया राशि जोकि उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय थी, अदा करने का उत्तरदायी हो गये। वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण का खाता समाप्त कर रिकॉल कर लिया गया, जिसकी सूचना विधिक नोटिस द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 18.01.2021 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र के जरिये प्रेषित की, परन्तु इसके बाबजूद भी प्रतिवादी द्वारा खाते में बकाया राशि अदा नही की गई। दिनांक 20.11.2020 तक प्रतिवादीगण के जिम्मे कुल बकाया राशि 6,47,134.48 /-रूपये (अक्षरे छः लाख सैतालीस हजार एक सौ चौतीस रूपये और अडतालीस पैसे) बकाया हैं, जिसे वादी बैंक वसूल करने क्री अधिकारिणी है एवं वादी बैंक उक्त राशि पर दावा दायरी से तावसूली तक 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

04. वादी का वादपत्र में आगे यह भी कथन रहा है कि दावा हाजा हेतु वाद कारण बाबत वसूली एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लोन दस्तावेजात प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित करने के पश्चात प्रतिवादीगण ने बकाया व ब्याज की अदायगी में समय

Authenticated Document

समय पर चूक कारित करने पर तथा बावजूद तलब एवं तकाजों के खाते में बकाया राशि अदा नहीं कर अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बकाया राशि की अदायगी नहीं करने पर वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण का लोन समाप्त कर रिकॉल कर लिया गया, जिसकी सूचना विधिक नोटिस द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 18.01.2021 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र के जरिये प्रेषित किया, परन्तु इसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा खाते में बकाया राशि अदा नहीं की गई। प्रतिवादीगण द्वारा शिक्षा ऋण सुविधा के तहत प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा के सम्बन्ध में समस्त लेखा जोखा वादी बैंक के उपरोक्त स्थान स्थित शाखा कार्यालय में रखा जाता है तथा प्रतिवादीगण को वित्तीय सुविधा की किश्तों की अदायगी वादी बैंक के कोटा स्थित कार्यालय में किया जाना था तथा इस प्रकार वादी बैंक का प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण कोटा में उत्पन्न हुआ है, इस कारण न्यायालय को उक्त वादपत्र सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन बाबत कुल बकाया राशि 6,47,134.48/-रूपए किया जाकर न्यायशुल्क 42,203/- रूपये है। प्रतिवादीगण द्वारा बादी बैंक से वर्ष 2012 में शिक्षा ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी एवं पक्षकारो के मध्य निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रतिवादीगण को किश्तो की अदायगी प्रतिवादी सं.1 की शिक्षा पूर्ण होने के उपरान्त वर्ष 2017 से सन् 2021 तक कुल 60 किश्तो में की जानी थी परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा किश्तो व ब्याज की अदायगी में डिले एवं डिफाल्ट कारित कर शर्तों का उल्लघंन किया गया, उक्त के उपरान्त वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण का लोन खाता समाप्त कर रिकॉल कर लिया गया, जिसकी सूचना वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को विधिक नोटिस के माध्यम से दिनांक 18.01.2021 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र के जरिये प्रेषित किया, परन्तु इसके बाबजूद भी प्रतिवादी द्वारा खाते में बकाया राशि अदा नहीं की गई, इसलिए वादी बैंक का दावा न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत में वाद-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को प्रतिवादीगण से कुल बकाया राशि 6.47.13448/-रुपये दिलाए जाने के आदेश पारित करते हुए उक्त राशि पर दावा दायरी से तावसूली तक 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी दिलाए जाने का निवेदन किया है।

05. उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी सं.1 की ओर से जबाव दावा पेश कर वादपत्र के समस्त तथ्यों को अस्वीकार किया गया है एवं विशेष कथन में निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं.1 को शिक्षा के संबंध में रियायती दर पर शैक्षणित दर पर और सुविधाओं के अनुसार शैक्षणिक काल में उसकी वसूली निषेध रखी जाने की शर्त रखी गई, लेकिन बैंक द्वारा ऐसी सुविधा की पालना कभी भी नही की गई है। वादी बैंक द्वारा शिक्षा के विकास हेतु ऋण उधार दिया गया है, न कि व्यवसाय कार्यों के लिये। वादी द्वारा प्रतिवादी सं.1 को अलग अलग सेंशन लेटर (स्वीकृति पत्र) अलग अलग प्रकार से ऋण का विवरण और उस पर देय किश्त की राशि अलग अलग बताई गई, जोकि वादी बैंक का एक सुनिश्चित कृत्य नही है, जिसके चलते प्रतिवादी सं.1 यह निश्चित नही कर सका कि उसे बाद शैक्षणित कार्य पूरा हो जाने पर कितनी राशि की किश्त कितने समय तक ऋण के उधार में भुगतान करनी है। इसका वादी बैंक द्वारा कभी भी स्पष्ट

Authenticated Document

नही करने के कारण प्रतिवादी सं.1 भुगतान के संबंध में असमंजस की स्थिति मे बना रहा। वादी बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर अलग अलग ब्याज दर बताई गई जोकि स्वंय वादी बैंक द्वारा अपने नियमों की अपालना की गई है, न कि प्रतिवादी सं.1 के द्वारा वादी बैंक द्वारा दिये गये शैक्षणिक ऋण यह भी अन्तर निहित रहा कि प्रतिवादी सं.1 को रोजगार प्राप्त हो जाने तक ऋण को भुगतान का अवसर प्रारम्भ किया जायेगा, किन्तु वादी बैंक द्वारा इस नियम की पालना भी नहीं की गई। वादी बैंक द्वारा दिये गये ऋण में प्रारम्भ से ही प्रतिवादी को असमंजस स्थिति व उलझन भरा ऋण देने के बाद से ही रोजगार की किसी भी गारण्टी को शामिल नहीं किया गया। जबकि नियमानुसार दिये जाने वाले ऋण में यह तथ्य सर्वपरी रहा कि ऋणी को रोजगार प्राप्त होने तक भुगतान की अदायगी से सुरक्षा प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिवादी सं.1 को यह सुविधा कभी प्राप्त नही हुई। वादी बैंक की अस्पष्टनिति के कारण प्रतिवादी सं.1 का गारण्टर प्रतिवादी सं.2 जो स्वंय प्रतिवादी सं.1 का पिता रहा, मानसिक संताप के कारण असमय रोगग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु कारित हो गई, जिसका प्रमाण पत्र जवाब पत्र के साथ संलग्न है। वादी बैंक के द्वारा प्रतिवादी सं.1 को जितने भी लिखित दस्तावेजात सुलभ करवाये है, उनकी छाया प्रतिलिपियां मय फर्द सूची इस जवाब पत्र के साथ संलग्न है। वादी बैंक चाहें तो प्रतिवादी सं.1 से सुलह करते हुये ऋण राशि को मय अपहानी खर्चों को हटाते हुये और प्रतिवादी सं.1 को होने वाली असुविधा की धनराशि को हटाने को वास्तविक ऋण राशि नये सिरे से प्रतिवादी सं.1 की सुविधा अनुसार किश्तों में अदायगी प्राप्त करने के लिये अपनी सहमति दे सकती है। क्योंकि प्रतिवादी सं.1 आज भी शैक्षणित लॉन प्राप्त करने के बाद बेरोजगार चला आ रहा है। अंत में जबाव दावा पेश कर वादी का वादपत्र हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया है।

06. वादी एवं प्रतिवादी के उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2023 को निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम किए गए:-

01. आया वादी बैंक, प्रतिवादी सं.1 को दिए गए शिक्षा ऋण की बकाया राशि 6,47,134/-रूपए 48 पैसे मय ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी है ?

----वादी

02. अनुतोष-?

07. तत्पश्चात् उक्त विवाद्यकों बाबत् मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से दिनांक 24.03.2025 को आविद परवेज अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बैंक आफ महाराष्ट का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, लेकिन उसके उपरांत पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद वादी की ओर से उक्त गवाह को पेश नहीं किया गया है, जिससे प्रतिवादी को जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है, जिस पर दिनांक 27.085.2026 को साक्ष्य वादी समाप्त की गयी।

08. प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी ।

Authenticated Document

09. उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विवाद्यकों पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार हैः-

विवाद्यक सं.1:-

10. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है, वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में केवल मात्र आविद परवेज का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया है, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, साथ ही उक्त गवाह को जिरह हेतु वादी बैंक की ओर से पेश नहीं किया गया है, जिससे प्रतिवादी को जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है। इस प्रकार वादी बैंक की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वादी इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि वादी बैंक, प्रतिवादी सं.1 को दिए गए शिक्षा ऋण की बकाया राशि 6,47,134/-रूपए 48 पैसे मय ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विवाद्यक सं.1 साक्ष्य के अभाव में वादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक सं.2 :-

11. उक्त विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है। चूँकि वादपत्र का मुख्य विवाद्यक सं.1 वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है और विवाद्यक सं.1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया गया है, इसलिए वादी बैंक कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं पाई जाती है और वादी बैंक की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र साक्ष्य अभाव में अस्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

ः:: आदेश ::ः

12. परिणामतः वादी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य कार्यालय-लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411005 तथा शाखा कार्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्लॉट नं. 6, न्यू मोटर मार्केट, कोटा एयरपोर्ट के सामने, झालावाड़ रोड, कोटा (राज.)- जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दीपेन्द्र सिंह का वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं.1 राजेन्द्र कुमार बगरी बाबत वसूली राशि 6,47,134.48/-रूपए साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे, तद्नुसार डिक्री बनाई जावे।

(आशीष दाधीच)
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा

13. निर्णय आज दिनांक 30.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.05.30 12:58:35 +0000

Authenticated Document